संख्या-22/2026/1211512/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9099/99/2021

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सी0 एण्ड डी0एस0,
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

न्याय अनुभाग- 9(बजट) **लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी,2026**

विषय : जनपद मैनपुरी में जजेज कम्पाउण्ड में न्यायिक अधिकारियों हेतु श्रेणी-5 के 28 नग आवास निर्माण कार्य हेतु लिमिट निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-240/2023/2291/सात-न्याय-9(बजट)-2023-800(96)/2022 दिनांक 30.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा जनपद मैनपुरी के जजेज कम्पाउन्ड में न्यायिक अधिकारियों हेतु श्रेणी-5 के 28 नग आवासों के निर्माण **कार्य हेतु** प्रायोजना की **आंकलित लागत** रू0 2862.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न शासनादेशों द्वारा अबतक **रूपये 1751.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।**

2- अवगत कराना है कि **शासनादेश संख्या-240/2023/2291/सात-न्याय-9(बजट)-2023-800(96)/2022 दिनांक 30.10.2023** द्वारा जनपद मैनपुरी के जजेज कम्पाउन्ड में न्यायिक अधिकारियों हेतु श्रेणी-5 के 28 नग आवासों के निर्माण **कार्य हेतु** धनराशि रू0 2862.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से धनराशि रू0 1751.97 लाख अवमुक्त किया गया है तथा धनराशि रू0 1110.80 लाख अवमुक्त किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय के पत्रांक-1657 /इन्फ्रा सेल,इलाहाबाद,दिनांक 18/11/2025 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद मैनपुरी के जजेज कम्पाउन्ड में न्यायिक अधिकारियों हेतु श्रेणी-5 के 28 नग आवासों के निर्माण **कार्य हेतु उक्तानुसार प्रदान की गयी धनराशि रू0** 2862.77 लाख**(रू0 अठाइस करोड़ बासठ लाख सतत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में अवशेष धनराशि रु0** 1110.80 लाख **के सापेक्ष कार्य की निरन्तरता बनाये रखने हेतु धनराशि रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) (केन्द्रांश रू0 180.00 लाख एवं राज्यांश रू0 120.00 लाख) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करने हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की सीमा तक लिमिट निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-**

1. उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु 'सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम' कार्यदायी संस्था नामित है। **कार्यदायी संस्था/**Implementing Agency **द्वारा स्पष्ट संस्तुति सहित सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्यो हेतु भुगतान किये जाने के लिए एस0एन0ए0 स्पर्श माडयूल के अन्तर्गत नियमानुसार उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि/निर्धारित लिमिट के अंतर्गत बिल/देयक प्रस्तुत किया जायेगा।**
2. **एस0एस0एम0/डी0डी0ओ0(एसएनए-स्पर्श) एवं एस0एन0ए0 द्वारा देयको के समबन्ध में व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-19/2025/बी-1-1662/दस-2025 दिनांक 10 दिसम्बर,2025 में उल्लिखित व्यस्था अनुसार कार्यवाही की जायेगी।**
3. **कार्यदायी संस्था/**Implementing Agency **द्वारा प्रायोजनान्तार्गत कराये गए कार्यो के यथार्थपरक भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही बिल/देयक प्रस्तुत किये जायेंगे|**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. **कार्यदायी संस्था/**Implementing Agency **द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिल सही-सही सृजित किए गए हैं तथा पात्र भुगतान प्राप्तकर्ता/फर्म/ ठेकेदार को ही भुगतान किया जा रहा है एवं समस्त वैधानिक कटौतियॉ सुनिश्चित कर ली गई हैं। भुगतान प्राप्तकर्ता/फर्म/ ठेकेदार की पात्रता एवं** credentials **सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/**Implementing Agency **का होगा|**
5. **देयक से सम्बन्धित मूल वाउचर्स आदि कार्यदायी संस्था/**Implementing Agency **के स्तर पर ऑडिट हेतु रक्षित रखा जाएगा।**
6. **देयको की शुद्धता(**Correctness**) का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/** Implementing Agency **का होगा। इस सम्बन्ध में न्याय विभाग/एस0एन0ए0 तथा साइबर ट्रेज़री का उत्तरदायित्व नहीं होगा।**
7. **इस सम्बन्ध में मूल शासनादेश सं0-240/2023/2291/सात-न्याय-9(बजट)-2023-800(96)/2022 दिनांक 30.10.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
8. **इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, भारत सरकार,पी.एफ़०एम०एस० डिविजन के पत्र/कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13/07/2025, व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-8/2025/बी-1-640/दस-2025 दिनांक 10 जुलाई ,2025, संख्या-9/2025/बी-1-672/दस-2025 दिनांक 23 जुलाई,2025, संख्या-11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26 सितम्बर,2025, शासनादेश संख्या-19/2025/बी-1-1662/दस-2025 दिनांक 26 सितम्बर,2025, शासनादेश संख्या-19/2025/बी-1-1662/दस-2025 दिनांक 10 दिसम्बर,2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशो में उल्लिखित दिशा निर्देशों /शर्तो/प्राविधानो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|**
9. **अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च,2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।**

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025,दिनांक 27.03.2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-22/2026/1211512(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2026, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
2. **प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।**
3. **महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।**
4. **श्री नीरज कुमार गयागी,संयुक्त सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय,भारत सरकार,नयी दिल्ली|**
5. **वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ।**
6. **निबन्धक(जे) इन्फ्रा0 (एच0सी0), मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।**
7. **जनपद न्यायाधीश, मैनपुरी।**
8. **निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल जवाहर भवन, लखनऊ।**
9. **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी-साइबर ट्रेज़री,जवाहर भवन|**
10. **सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
11. **परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-43, सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम(शहरी)फर्रूखाबाद, मुख्यालय-कन्नौज।**
12. **उपसचिव/स्टेट स्कीम मैनेजर/ डी0डी0ओ0(एसएनए-स्पर्श),न्याय विभाग,उतार प्रदेश शासन|**
13. **सिंगल नोडल एजेंसी-एडमिन, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।**
14. **डाटा ओपेरटर/डाटा एप्रूवर एसएनए-स्पर्श,न्याय विभाग,उतार प्रदेश शासन|**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 12

16. गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार सिंह-II)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।